

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

21 दिसम्बर, 2023 (ई०)

गुरुवार, तिथि

[त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र]

30 अग्रहायण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18-12-23, 19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (05)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18-12-23, 19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (06)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18-12-23, 19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (07)- श्री रामचन्द्र सिंह स०वि०स० एवं श्री सोनाराम सिंक्, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-18-12-23, 19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (08)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (09)- श्री नारायण दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)

- (10)-श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (11)-सर्वश्री डॉ० इरफान अंसारी ,उमाशंकर अकेला एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी ,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (12)-श्री अनन्त कुमार ओझा,स०वि०स०, डॉ०नीरा यादव, स०वि०स० एवं डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19-12-23 एवं 20-12-2023 से स्थगित)
- (13)-श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20-12-2023 से स्थगित)
- (14)-डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,स०वि०स०, श्रीमती अर्पिणा सेनगुप्ता, स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार मण्डल,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20-12-2023 से स्थगित)
- (15)-सर्वश्री दीपक बिरुवा, सोनाराम सिंकू एवं श्री राजेश कच्छप,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20-12-2023 से स्थगित)
- (16)-श्री उमाशंकर अकेला,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20-12-2023 से स्थगित)
- (17)-श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,स०वि०स० एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-20-12-23 से स्थगित)
- (18)-डॉ० सरफराज अहमद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (19)-सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, जिग्गा सुसारण होरो एवं भूषण बड़ा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20)-श्री विकास कुमार मुण्डा,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(21)-श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(22)-श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति,खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(23)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(24)-प्रभारी मंत्री (वित्त विभाग) डॉ०रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि मैं "भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड राज्य का वित्त लेखे खण्ड-I एवं II तथा विनियोग लेखे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ।

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(25)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री, द्वारा Commission of Inquiry Act,1952 की धारा-3(4) के प्रावधानों के तहत जाँच प्रतिवेदन तथा विभागीय आदेश-5500,दिनांक-29-09-2023 की एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

(26)-पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा झारखण्ड पथ विकास निधि अधिनियम,2011की धारा 13(i) के अनुपालन में गठित नियमावली के आलोक में झारखण्ड राज्य पथ विकास निधि नियमावली-2012 की एक प्रति अधिनियम 2011 की धारा-13(ii) के तहत सभा पटल पर रखा जाना।

(27)-झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(28)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

(29)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

(30)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(31)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(32)- अध्यक्ष का समापन भाषण।


सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२३-^{२५००}...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{२०/१२/२३}.....

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.12.2023


(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२३-^{२५००}...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{२०/१२/२३}.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।



20.12.2023

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०८/२०२३-^{२५००}...../वि०स०, राँची, दिनांक-.....^{२०/१२/२३}.....


प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/12.2023

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत//


20/12/23